

यूपी में एक कागज के लिए अटकी पेंशन, घर बैठे बनाएं जीवन प्रमाण पत्र! (पढ़ें संपूर्ण जानकारी)

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाने के तरीके...
- >> और भी पढ़ें...
- >> महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

यूपी में इस एक कागज की वजह से अटक रही वृद्धा पेंशन- जीवन प्रमाण पत्र न होने के कारण लाखों पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है। इस मुद्दे को देखते हुए सरकार ने घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था की है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

त्वरति जानकारी (Quick Summary)

उत्तर प्रदेश में जीवन प्रमाण पत्र न होने के कारण पेंशन रोक दी गई है। अब आप सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस या ई-सेवा ऐप के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको Aadhaar और मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बनी कसौ परेशानी के पेंशन प्राप्त करें।

जीवन प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

- >> जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) पेंशनर की मृत्यु न हुई है इसकी पुष्टि करता है
- >> यह प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जमा करना अनिवार्य है
- >> इसके बिना पेंशन रोक दी जाती है
- >> यूपी में 25 लाख से अधिक पेंशनर्स इससे प्रभावित हैं

घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाने के तरीके

ई-सेवा ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने का चरण:

- >> ऐप स्टोर से ई-सेवा ऐप डाउनलोड करें
- >> आधार से लॉगिन करें
- >> जीवन प्रमाण पत्र विकल्प चुनें
- >> आवश्यक जानकारी भरें

>> फेस रकिंगनशिन कराएं

>> भेजे गए OTP दर्ज करें

>> जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: 20 साल का अनुभव! NBT के अमति कुमार ने खोली सरकारी योजनाओं की पोल? ...तुरंत पढ़ें और जानें सच!

और भी पढ़ें

>> मीट अमति कुमार: जानें नवभारत टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट की दिलचस्प कहानी

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

हाँ, आप नजदीकी बैंक या सरकारी सेवा केंद्र जाकर बनिा इंटरनेट के भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बैंक कर्मचारी आपके आधार कार्ड और अंगूठे के आधार पर आपका प्रमाण पत्र तैयार करेंगे।

जीवन प्रमाण पत्र न जमा होने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। देरी से जमा होने पर 20 का जुर्माना लगेगा और दो महीने के बाद आपकी पेंशन पूरी तरह रोक दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आप ग्राम प्रधान, सरपंच या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल वैन भी भेजी है जो आपके घर आकर जीवन प्रमाण पत्र बनाती है।

यूपी में पेंशन मुद्दों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था की है। अब आप आसानी से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सेवा केंद्र या ई-सेवा हेल्पलाइन 1800-11-3800 पर संपर्क करें।

Reference:

जीवन प्रमाण पत्र योजना और पेंशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: <https://www.pensionersportal.gov.in>